न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–66 / 2012–13 अन्तर्गत धारा–333 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम।

श्री पारेश्वर

बनाम

ग्राम सभा जौलीग्रान्ट एवं अन्य

उपस्थितिः श्री राकेश शर्मा, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी राज्य सरकार : श्री राजवीर सिंह, सहा0 जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व)।

बावत

मौजा जौलीग्रान्ट, परगना परवादून,
जनपद देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान अपर कलेक्टर(प्रशासन), देहरादून द्वारा वाद संख्या–03 / 2009–10 ग्रामसभा जौलीग्रान्ट बनाम पारेश्वर में पारित आदेश दिनांक 18–01–2011 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वर्ष 1975–76 में कुछ व्यक्तियों को ग्रामसभा जौलीग्रान्ट के अन्तर्गत खसरा नं0–1588 मध्ये भूमि आवंटित की गई थी जिसमें से निगरानीकर्ता को भी 0.95 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। दिनांक 20–12–1985 को भूमि प्रबन्धक समिति की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आवंटियों में से कुछ की लावारिस मृत्यु हो गई है तथा कुछ आवंटी गांव छोड़कर चले गये हैं, अतः उनके नाम जारी पट्टों को निरस्त कर दिया जाय। इसी प्रस्ताव के कमांक–09 पर निगरानीकर्ता का नाम भी पट्टा निरस्तीकरण के प्रस्ताव में उल्लिखित है। दिनांक 24–04–86 को निगरानीकर्ता को पट्टा निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया, जिसपर यह उल्लेख किया गया कि नाम खास गांव में नहीं रहता है, अतः नोटिस की एक प्रति गांव में चस्पा कर दिया गया है। पुनः अपर कलेक्टर, देहरादून ने दिनांक 30–06–1986 को ''दून दर्पण'' समाचार पत्र के माध्यम से पट्टा निरस्तीकरण के नोटिस का प्रकाशन किया जिसके कमांक–6 पर निगरानीकर्ता का नाम भी अंकित है, लेकिन निगरानीकर्ता न्यायालय अपर कलेक्टर के यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चा अपर कलेक्टर, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 25–07–86 से अन्य आवंटियों के साथ–साथ निगरानीकर्ता को आवंटित भूमि का पट्टा भी खारिज कर भूमि ग्रामसभा के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये।

उक्त आदेश दिनांक 25–07–1986 के विरूद्व निगरानीकर्ता द्वारा अपर कलेक्टर के न्यायालय में दिनांक 25–10–2007 को लगभग 20 वर्ष पश्चात पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अपर कलेक्टर, प्रशासन, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 18–01–2011 से यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है, अतः पत्रावली पर कार्यवाही समाप्त की जाती है। वादी यदि चाहे तो सक्षम न्यायालय में धारा–33 / 39 में कार्यवाही कर सकते हैं।

मैंने अवर न्यायालय की वाद पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क था कि प्रार्थी का आवंटित भूमि पर आवंटन की तिथि से कब्जा व काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी को पट्टा निरस्त करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया, जिस करण वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति तथा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रार्थी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसे भले–बुरे का ज्ञान नहीं था। वह 20 वर्षों तक लगातार इलाज करता रहा। आदेश दिनांक 22–07–86 का ज्ञान उसे तब हुआ जब जौलीग्रान्ट हवाई पट्टी विस्तारीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई। अतः आदेश दिनांक 18–01–2011 तथा 25–07–86 को निरस्त कर प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेखों में पूर्व की भांति दर्ज किया जाय।

राज्य सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) ने तर्क दिया कि अवर न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है अतः उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अवर न्यायालय में निगरानीकर्ता ने जो पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 25–10–2007 प्रस्तुत किया गया है तथा उसमें जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है अपर कलेक्टर ने वाद के निस्तारण में उनकी कोई विवेचना नहीं की है, जबकि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 09–09–2010 में निगरानीकर्ता का कब्जा–काश्त पाया गया है। अपर कलेक्टर द्वारा सरसरी तौर पर वाद का निस्तारण किया गया है न कि गुण–दोष के आधार पर। वाद गुण–दोष के आधार पर निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 18–01–2011 निरस्त कर प्रकरण अपर कलेक्टर(प्रशासन), देहरादून को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निगरानीकर्ता को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर वाद का गुण–दोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण करें। अवर न्यायालय की पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।
8/1/15

आज दिनांक 08/01/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(राकेश शर्मा)
अध्यक्ष।
8/1/15